Serial No. 698 Circle:-:Danapur Book No. :- 1 Deed No. 684

Serial No. 698 Deed No. 684

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **21/01/2016** by **Madan Mohan Singh**
A stamp duty of Rs. **236800**/- and other fees of Rs. **20400**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **684** in Book No. **1**, Volume No. **14** on pages from **457** to **472** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **3** / Year **2016**

21/1/2016
Signature with Date
(**Dhananjay Kumar Rao**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 21/01/2016 Token No: 701/2016

21/01/2016

56/21

Madan Mohan Singh
21-1-2016

विकास एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक –21– माह जनवरी सन् 2016 ई0 को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है।

श्री मदन मोहन सिंह पिता का नाम स्वर्गीय राम विलास सिंह , निवास स्थान ग्राम – कोथवॉ , थाना एवं पत्रालय – खगौल , जिला – पटना , बिहार

21/1/16

भारतीय नागरिक , जो इसके पश्चात **भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष)** के नाम से सम्बोधित किये जायेगें , भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका सम्बन्ध भूखण्ड या भूखण्ड स्वामी में निहित प्रतिनिधि , वारिसान , सदस्य , प्राधिकृत एजेन्ट , उत्तराधिकारी एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है । M.NO 9386739963

एवं

सृष्टि कॉमट्रेड प्रा0 लि0 , मुरली चक , जगदेव पथ , थाना हवाई अड्डा , पत्रालय – बी0 भी0 कॉलेज , जिला – पटना –800 014 है , जिन्हें इसके पश्चात **विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष)** के नाम से सम्बोधित किया जायगा , विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) से अभिप्राय यह है कि विकासकर्ता के साथ साथ उनके उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट तथा चयनित उत्तराधिकारी से है , जिनका संबंध प्रत्यक्ष–अप्रत्क्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता से है , सम्मिलित किया जाता है । विकासकर्त्ता **सृष्टि कॉमट्रेड प्रा0 लि0** द्वारा निदेशक **श्री विरेन्द्र कुमार** पिता का नाम स्वर्गीय रामदहिन सिंह , निवास स्थान मुरली चक , जगदेव पथ , थाना हवाई अड्डा , पत्रालय – बी0 भी0 कॉलेज , जिला – पटना –800 014 , बिहार , भारतीय नागरिक , जो भूखण्ड स्वामी के घर जाकर उनके सर्वे प्लौट संख्या 883 , रकवा – करीब 37 डि0 , मौजा **मुस्तफापुर** थाना – दानापुर , हाल थाना – खगौल , जिला – पटना , खाता संख्या 86 , तौजी संख्या 5241 , थाना संख्या 36 , जिला पटना पर बहुमंजली इमारत बनाने का प्रस्ताव किया तथा दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर इसे स्वीकार करते हैं।

1. यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष का सदस्य भूखण्ड स्वामी है जो कि भूखण्ड , जिसका रकवा–करीब 37 डि0 समिलात के मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से है जो मौजा–मुस्तफापुर , सर्वे थाना – दानापुर , हाल थाना – खगौल , जिला पटना , निबंधन अवर निबंधन कार्यालय दानापुर

तथा जिला एवं सदर निबंधन ~~कार्यालय पटना के~~ क्षेत्राधीन है , जिसका सर्वे थाना न0 36 एवं नगर परिषद् दानापुर / खगौल के अनतर्गत है, जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से वर्णित है। जिसका मूल्य मो0 1,18,40,000/– एक करोड़ अठारह लाख चालिस हजार रूपया मात्र है।

चौ ह द् दी

उत्तर	:–	पार्ट प्लौट न0 883 श्री भरत सिंह
दक्षिण	:–	सर्वे प्लौट न0 888
पूरब	:–	सर्वे आहर
पश्चिम	:–	सर्वे प्लौट न0 884

2. यह कि उपर वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष जो भूखण्ड स्वामी है जिसपर भूस्वामी/लेख्यकारी का दखल कब्जा निर्विवाद रूप से शान्ति पूर्वक चला आ रहा है, सम्पत्ति हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋण भार से मुक्त है तथा नुक्स हकियत वारदन से पाक साफ है ।

3. यह कि भूखण्ड स्वामी के आन्तरिक इच्छा से उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत एवं आधुनिक तकनीक से फ्लैटों का निर्माण उक्त भूखण्ड पर करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) उभय पक्षों के बीच निष्पदित आपसी सहमति एवं निर्धरित शर्तो पर पूर्ण मानसिक स्वस्थता के हालत में नफा नुकसान सोच–समझकर बिना जोर दबाव से किया जाता है।

4. यह कि विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) इस जमीन पर उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैट निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा , उस खर्च को विकासकर्त्ता पूर्णतया वहन करेगें।

5. यह कि इस एकरारनामा के होते ही विकासकर्त्ता भूखण्ड स्वामी की अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनायेगें जिससे दोनों पक्षों को अधिकाधिक लाभ हो सके।

6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण हेतू संरचना का नक्शा वास्तुविद से स्वयं बनवायेगें और उसमें होने वाले खर्च को पूरा वहन करेगें। साथ ही साथ नक्शा को नगर परिषद् दानापुर / खगौल या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था से स्वीकृति हेतू जमा करेगें तथा स्वीकृति लेने में जो भी खर्च होगा उसे द्वितीय पक्ष ही करेगें।

7. यह कि नगर परिषद् दानापुर / खगौल में नक्शा जमा करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पर जो भी आवश्यक हो , प्रथम पक्ष अपना हस्ताक्षर करेगें।

8. यह कि नगर परिषद् दानापुर / खगौल द्वारा स्वीकृत नक्शे में किसी प्रकार का विचलन या बदलाव द्वितीय पक्ष नहीं करेगें। अगर द्वितीय पक्ष बहुमंजिली इमारत बनाने में किसी तरह का विचलन या बदलाव किया तो इसके लिये जो भी कानूनी व्यवधान उत्पन्न होगा उसकी पूरी जबावदेही द्वितीय पक्ष पर होगी।

9. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष निर्माण पूरा करने के पश्चात भूखण्ड स्वामी के उनके उपरोक्त भूखण्ड में निर्मित होने वाली कुल परम निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा जमीन मालिक का होगा। जिसे विकासकर्ता भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौपेगें तथा शेष हिस्सा 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) का होगा। उसी

Constructions Pvt. Ltd. Director

21-1-2016

प्रकार निचली मंजिल पर जो भी पार्किंग क्षेत्र बनेगा उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा भूखण्ड स्वामी को एवं 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता का होगा। प्रथम पक्ष को जो फ्लैट मिलेगा , उसका नापी सुपर बिल्ट अप एरिया का होगा , सुपर बिल्ट अप एरिया का सभी सुविधा भी प्रथम पक्ष को मिलेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये फ्लैट के क्रेता अपने अपने हिस्सों के फ्लैट , पार्किंग एरिया को बिक्री करने , किराया पर लगाने एवं ऋणभार तथा निजी उपयोग के लिये स्वतंत्र हैं।

11. यह कि एपार्टमेन्ट एक्ट 2006 की धारा 5 (1) के अनुसार भू स्वामी एवं भू विकासक के बीच यह शर्त निर्धारित है कि प्रस्तावित योजना के प्रारुप के स्वीकृति मिलने पश्चात भू विकासक बनने वाली इमारत में भूस्वामी के हिस्सा का निर्धारण कर देगें तथा शेष क्षेत्र पर अपना स्वामित्व स्थापित करके अपने हिस्से निर्मित क्षेत्र को बिक्री कर सकते है , अपने खरीदारों से अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं , अपने खरीदारो स्वामित्व निर्धारण हेतू बिक्री पत्र का निष्पादन कर सकते हैं , बिक्री पत्र या अन्य किसी दस्तावेज के निबंधन हेतू किसी भी उचित निबंधन कार्यालय में दस्तावेज निबंधन हेतू उपस्थापित कर सकते हैं। इसमें प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा तथा इसके लिये विकासकर्ता को भूस्वामी से किसी प्रकार के अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार भूस्वामी भी अपने हिस्सा के भूभाग को अपने किसी भी खरीदारों के नाम बिक्री कर सकेगें एवं खरीदारों के स्वामित्व सुनिश्चित करने हेतू किसी प्रकार के दस्तावेज का निष्पादन करके उसका निबंधन करेगें।

12. यह कि जमीन मालिक एवं विकासक ने आपस में यह तय किये है कि इस विकास एकरारनामा के निष्पादन के पश्चात विकासक नगर परिषद् दानापुर / खगौल या किसी अन्य प्राधिकार से भवन निर्माण हेतू नक्शा पारित करवा लेगें तथा प्राधिकार द्वारा नक्शा पारित होने की तिथि से **चार साल** ~~छः साल~~ के अन्दर विकासकर्ता कार्य पूर्ण करेगें। इसके अतिरिक्त छः माह का समय ग्रेस के रूप में दिया जायेगा। यदि विकासकर्ता समय अवधि के अन्दर फ्लैटों का निर्माण नहीं करता है तो विकासकर्ता जमीन मालिक को 30,000/– तीस हजार रूपया प्रति माह हर्जाना के रूप में भुगतान करेगें। निर्माण के अवधि की गिनती इस विकास एकरारनामा के तिथि से की जायेगी।

13. यह कि निर्मित भवन में प्रथम पक्ष को सभी तल्ले पर **50** प्रतिशत हिस्सा सभी दिशा में मिलाकर मिलेगा, इसमें प्रथम पक्ष का कोई आपत्ति नहीं है।

14. यह कि भूखण्ड स्वामी ने यह भी विश्वास दिलाया है इस एग्रीमेन्ट के तत्वाधान में विकासकर्त्ता के निर्माण कार्यो के प्रगति हेतु अधिकार दिये जायेगें। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से का फ्लैट तथा पार्किंग एरिया को एकरारनामा कर बिक्री एवं निबंधन आदि करने का अधिकार होगा।

15. यह कि विकासकर्त्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से को निर्माण पूर्ण कर सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर अवधि के अन्दर सौंप देगें वो शेष द्वितीय पक्ष के हिस्से के निर्माण अगर निर्धारित समय में देरी हागी तो उसमें प्रथम पक्ष को एतराज नहीं होगा।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

21/1/16

21-1-2016

16. यह कि प्रथम पक्ष तथा उसके उत्तराधिकारी निर्माण के अवधि में कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।

17. यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों के प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत , बालकोनी , एमिनिटीज , फ्लैट को उपयोग व उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सो पर स्वयं अथवा उत्ताधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदारों वगैरह अथवा सोसाइटी के लिए स्वतंत्र होगें।

18. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य संपन्न हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा। जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। पूंजी मुहैया हेतू द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आथिक ऋण लेगें , बुकिंग कार्य , आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने हिस्से के क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे।

19. यह कि सरकारी नितियों के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रूक जायेगा। तब वैसे हालत में विकासकर्त्ता का दोष नहीं होगा , इस हालत में विकासकर्त्ता द्वारा विकास करने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा , उतना दिन के लिए बढ़ा दिया जायेगा।

20. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति जैसे रचनाकार , अभियंता , सर्वेयर , ठेकेदार की नियुक्ति विकासकर्त्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तथा आंशिक रूप से ठकेदार की नियुक्ति प्रथम पक्ष आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

... Contracts Pvt. Ltd
Singh

Mahesh ... 21-1-2016

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

21. यह कि बहुमंजिला इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट औजार, ईंट , विद्युत कनेक्सन , लोहा आदि अन्य संबंधित कार्यो हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन हेतु वंछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों को निष्पादन करेंगे।

22. यह कि भूस्वामी के द्वारा सभी मूल कागजातों को अपने दखल कब्जा में रखेंगे किसी भी वित्तीय संस्थान को डेवलपर्स द्वारा दिये गये ऋण आवेदन की सम्पुष्टि में उन सभी भूमि संबंध्ति कागजातों को प्रस्तुत करने का वादा करते हैं।

23. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च स्टाम्प ड्यूटी खर्च एवं रजिस्ट्रेशन खर्च का वहन खरीददार करेगें।

24. यह कि जब कभी विकासकर्त्ता को भूखण्ड स्वामी से संबंधित फ्लैट क्षेत्र पर बने फ्लैट के स्थानान्तरण हेतु किसी वसीका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी उनके साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिए स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु कागजात पर हस्ताक्षर बनायेगें एवं संबंधित भूखण्ड स्वामी उस गवाही के रूप में हस्ताक्षर बनायेगें तथा निर्धारित हिस्सा के मुताबिक ही आचरण करेगें उसी प्रकार जमीन मालिक भी अपने हिस्से से पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पूर्ण स्वामी होंगे तथा हस्तानान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्त्ता निष्पादन के समय गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर देगें।

Comfort Pvt. Ltd
Director

Made before me
21-1-2016

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

25. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस डेवलपर्स इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न विवाद लाभांश प्रतिशत के संबंध में निर्मित क्षेत्र के लिए भूस्वामी एवं विकासकर्त्ता के बीच में निष्पादित हुआ उसके लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट 1940 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

26. यह कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विकासकर्त्ता द्वारा एक एसोशियेशन सभी फ्लैट धरियों (फ्लैट मालिकों) का बनाया जायेगा , जो इस एसोशियेशन के सदस्य होगें और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेन्ट का रख–रखाव एवं देख–रेख करेंगें।

26. यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पति निस्बत किसी प्रकार का कोई एकरारनामा किसी अन्य के साथ नहीं करेगें वो यदि करें तो उनके द्वारा किया गया एकरारनामा रद्द एवं गैर कानूनी होगा।

परीशिष्ट **क**

1. फाउन्डेशन	:–	आर0 सी0 सी0 पाइलिंग भूकम्प विरोधी स्ट्रेक्चर डिजाईनर के अनुसार
2. स्ट्रक्चर	:–	आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क	:–	1 न0 ईंट वर्क सिमेन्ट मेटेरियल के साथ।
4. छत	:–	आर0 सी0 सी0 हिट प्रुफ , वाटर प्रुफ
5. फर्श	:–	भिट्रीफायड टाइल्स
6. प्लास्टर	:–	सिमेन्ट मोर्टार 1:6 , सिलिंग 1:4
7. दरवाजा	:–	फ्लश डोर
8. चौखट	:–	हार्ड उड

Contracts Pvt. Ltd.
Director
21/1/16

21-1-2016

उत्पाद निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

9. खिड़की	:–	अल्युमुनियम विन्डो , शीशा एवं पेन्टिग के साथ
10.किचेन	:–	किचेन में भिट्रीफायड टाइल्स (प्लैटफार्म के उपर दो फीट तक दिवाल में सेरामिक्स टाइल्स एवं प्लौटफार्म के उपर ग्रेनाईट
11..बाथरूम	:–	दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में फ्लोर टाइल्स , फ्लोरिंग के साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग्स नल फिटिंग्स ,चीनी मिट्टी का सफेद पैन , फिटिंग्स , मास्टर बेड रूम में ट्यालेट गर्म एवं ठंढ. पानी की व्यवस्था। सभी सामग्री ISI ब्रान्ड की उपयोग की जायेगी।
12.विद्युत वायरिंग	:–	कॉनसिल्ड पी0 वी0 सी0 कन्ड्यूट वायरिंग सहित स्टैन्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग्स के साथ। ISI ब्रान्ड
13.टी0 भी0 प्वाईन्ट	:–	सभी फ्लैटों में एक प्वाइन्ट
14.टेलिफोन प्वाईन्ट	:–	सभी फ्लैट में एक प्वाइन्ट (कनेक्शन नहीं)
15.सीवरेज	:–	सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
16.केबल कनेक्शन	:–	प्रत्येक फ्लैट में एक प्वाइन्ट
17.जेनेटर	:–	बढिया क्वालिटी , बिल्डींग के capicity के अनुसार
18.समरसिबल पम्प	:–	क्रौम्पटन या इसके समकक्ष
19.लिफ्ट	:–	साहिल या इसके समकक्ष

अपर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Comrade Pvt. Ltd

भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) तथा विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) उपरोक्त सभी बातों एवं शर्तों पर सहमत है तथा वादा करते हैं कि मिल जुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

लेख्यकारी प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

2-1-1-2016

साक्ष्यगण

1. अरुण कुमार सिंह
पिता श्री भरत प्रसाद सिंह
ग्राम- कोथवाँ
पो+था०- खगौल
जिला - पटना
दि० - 21/1/2016

2. Bijay Kumar Singh
S/o Late Shri Narayan Singh
AT:- Kothwan
PO+PS:- Khagaul
Dist - Patna.
Date- 21/01/2016

लेख्यकारी द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Comrade Pvt. Ltd
Singh
21/1/16 Director

21/1/16

प्रारूपकर्ता

21.1.2016

दस्तावेज लेखक, दानापुर, पटना
निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

हस्ताक्षर आँखा
25/1/16

PIN 800014 PAN-AANCS5535(

11840

अदर सं0 ------------------ शब्दों में (रु0 ---) मात्र

चतुर्थ प्रति **(4)**

(आवेदक हेतु)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

SHRISHTY COMTRADE PRIVATE LIMITED

1. पक्षकार का नाम /पता- सृष्टि कॉमट्रेड प्रा० लि०

(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) मुरली चक पाटलिपुत्र इंड० एरिया पटना

2. दस्तावेज का प्रकार- विक्रय पत्र, एग्रीमेंट, दानपत्र, बंटवारानामा, विकास इकरारनामा, लीज

3. निबंधन कार्यालय- अवर निबंधन कार्यालय दानापुर

4. बैंक का नाम एवं शाखा- भारतीय स्टेट बैंक दानापुर

5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	236800	236800
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	20,000	20,000
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598		

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 256800

कुल राशि शब्दों में --

स्थान- दानापुर

तारीख- 15/9/15

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल सं0 ---------------------------- तारीख ---------------- तदर्थ कालम

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रु0 ---------------/ शब्दों में-----------

रुपये प्राप्त किए अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

SBI DANAPUR (01254) PULESHWAR YADAV USER ID: 5035104 15 SEP 2015 CASH TRANSFER CHECKER

निबंधन हेतु संविदा राशि जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं0 : A/c No.

जमा करने की तिथि :

बैंक स्क्रॉल सं0 : ----------------------------- प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2) X रु0 25/-

अवर निबंधन कार्यालय (पटना)

2568 - 400 = 252800 257200

INDIAN DRIVING LICENCE
GOVERNMENT OF BIHAR
DL : BR-0120100102108

Name : ARUN KUMAR SINGH
S/W/D of : BHARAT PRASAD SINGH
Address : KOTHAVA KHAGAUL P.O&P.S KHAGAUL PATNA

Valid Till (Transport)

DOB : 20-01-1970 BG : A+
Valid Till (Non-Transport) : 19-01-2020
Badge No :
*Authorisation to drive the following vehicle class throughout India.
Type of Vehicles : LMV-NT MCWG Only
Signature of Holder
Issued on : 20-10-2010

DL : BR-0120100102108

Original LA : DTO,PATNA
Old DL No :
Date Of Issue : 20-10-2010
Class Of Vehicles :

Vehicle Class	Issue Date
LMV-NT	20-10-2010
MCWG	20-10-2010

अरुण कुमार सिंह
पिता-श्री भरत प्रसाद सिंह
ग्राम - कोथवाँ
पो0+थाना - खगौल
जिला - पटना

उप निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 236800/-**		Amt.Paid By N.J Stamp Paper **Rs.**	**0/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs.**	**0/-**	Amt.paid through Bank Challan **Rs.**	**257200/-**

Registration Fee — FEE PAID

A1	**20000**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**	**TOTAL-**	**20000**

LLR + Proc Fee		**Service Charge**
LLR	**0**	
Proc.Fee	**0**	**400**
Total	**0**	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20400

Registering Offic
Danap

Date: 21/01/2016

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Thursday, 21st January 2016 by Madan Mohan Singl S/O-Late Ram Vilas Singh by profession Others. Status - Executant

Madan Mohan Singh
21-1-2016

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:21/01/2016**

Registering Offi
Danap

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Arun Kumar Singh' age '45' Sex 'M', 'S/O-Bharat Prasad Singh', resident of 'Kothwan,khagaul,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Offi
Dana

Date : 21/01/2016

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 14 on pages on 457 -472 , for the year 2016 stored in CD volume No. CD-3 year 2016 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Offi
Dana

Date : 21/01/2016

Token No. : 701 **Year : 2016** **S.No.: 698** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 6**

SCANNED

By____ Checked By____